



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052026-272913
CG-DL-E-27052026-272913

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145]
No. 145]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2026/ज्येष्ठ 5, 1948
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2026/JYAISTHA 5, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2026

विवाद समाधान के लिए वाह्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों/विशेषज्ञों की समिति का पुनर्गठन

फा. सं. एक्सप्लो. 15022(13)/6/2017-ओएनजी-डी-वी (ई-38889).— दिनांक 17 दिसंबर, 2019 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना संख्या 387 दिनांक 16 दिसंबर, 2019 और इस मामले से संबंधित बाद की अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए, भारत सरकार निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर विवाद समाधान के लिए वाह्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों/विशेषज्ञों की समिति का पुनर्गठन करती है, नामतः, :-

क्रम संख्या	नाम
01	श्री राजीव बंसल, आईएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार
02	श्रीमती बरनाली बरुआ तोखी (सेवानिवृत्त), पूर्व प्रबंध निवेशक, बी.पी.आर.एल
03	श्री दीपक मिश्रा, पूर्व निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आई.सी.आर.आई.ई.आर

2. सदस्यों का कार्यकाल

2.1 समिति के सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष का होगा। तथापि, सरकार किसी भी सदस्य को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समिति से पृथक करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

2.2 सदस्य कार्यकाल विस्तार के लिए भी पात्र होंगे।

3. सदस्यों की निष्पक्षता

समिति के सदस्य सुलह या मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान सदैव पक्षों के प्रति निष्पक्ष रहेंगे।

4. सदस्यों की शक्तियाँ और कार्य

समिति मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार पक्षों के बीच विवाद के समाधान के लिए सुलह और मध्यस्थता कार्यवाही करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी और सभी कार्यों का निर्वहन करेगी और यह प्रयास करेगी कि समिति की पहली बैठक की तिथि से तीन महीने के भीतर सभी पक्षकार समाधान समझौते पर पहुँच जाएँ। सदस्य और पक्षकार लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से आपसी सहमति से ऐसे समाधान समझौते पर पहुँचने के लिए समय बढ़ा सकते हैं।

5. समिति के निबन्धन और शर्तें

5.1 सुलह या मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाले समिति के सदस्यों को उनकी पात्रता के अनुसार, कार्यस्थल से बैठक स्थल तक हवाई यात्रा और स्थानीय आवागमन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जब तक कि समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए उन्हें परिवहन और आवागमन की सुविधा प्रदान नहीं कर दी जाती है। प्रत्येक सदस्य को सुलह या मध्यस्थता कार्यवाही की प्रत्येक सुनवाई के लिए 20,000/- रुपए (केवल बीस हजार रुपए) का मानदेय भी दिया जाएगा।

5.2 सुलह या मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाली समिति जब भी आवश्यक हो अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए तीसरे पक्ष/विशेषज्ञ एजेंसी की सेवा ले सकती है।

5.3 सरकार बिना कोई कारण बताए आवश्यकता पड़ने पर निबन्धनों और शर्तों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

6. सुलह या मध्यस्थता कार्यवाही की शर्तें और नियम

6.1 भारत के अन्वेषण ब्लॉकों/क्षेत्रों से संबंधित किसी संविदा से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद को यदि संविदा के दोनों पक्ष लिखित रूप से सुलह या मध्यस्थता के लिए सहमत हों और आगे यह कि इसके बाद मध्यस्थता कार्यवाही न करने पर सहमत हों तो समिति को भेजा जा सकता है, ।

6.2 विवाद को समाधान के लिए संदर्भित करने के अनुरोध प्राप्त हो जाने पर, समिति सुलह/मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन करेगी। कार्यवाही निष्पक्षता, न्याय और सुविवेक के सिद्धांतों पर आधारित होगी। प्रक्रियात्मक पहलू के लिए, समिति सुलह और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के पैरा 3 में उल्लिखित सिद्धांतों और विनियमों की सहायता ले सकती है।

6.3 जब तक कि पक्षकार अन्यथा सहमत न हों, सुलह या मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान नई दिल्ली, भारत होगा।

6.4 पक्षकार अपने मामले को केवल अपने कर्मचारियों या अधिकारियों के माध्यम से ही मध्यस्थ या समझौता कराने वाली के रूप में कार्य करने वाली समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अधिवक्ता या सलाहकार सुलह कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे, जब तक कि कार्यवाही में किसी पक्षकार द्वारा दायर आवेदन-पत्र पर समिति ने पाया कि कानूनी प्रकृति का कुछ मुद्दे या अत्यधिक विशिष्ट जानकारी वाले कुछ मुद्दे विवाद में हैं, जिसके लिए अधिवक्ता या सलाहकार द्वारा स्पष्टीकरण/व्याख्या की आवश्यकता है और यह विचार करे कि ऐसी सहायता या भागीदारी के अभाव में, पक्षकार के हितों का सुलह या मध्यस्थता कार्यवाही में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा।

- 6.5. विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए पक्षकारों को कोई भी सुझाव, प्रस्ताव या वैकल्पिक प्रस्ताव देने की स्वतंत्रता होगी।
- 6.6. पक्षकार सुलह या मध्यस्थता के लिए नोटिस की तारीख से लेकर निपटान समझौते के निर्णय तक, यदि ऐसा होता है, दावों या प्रति-दावों पर कोई इंटरैस्ट का दावा नहीं करेंगे। यदि पक्षकार किसी समझौते पर पहुंचने में असमर्थ हैं, तो नोटिस की तारीख से लेकर समिति के समक्ष लंबित कार्यवाही के पूरा होने की तिथि या समिति से अंतिम सिफारिशें प्राप्त होने की तिथि या निपटान समझौते के निष्पादन की तारीख तक, जो भी बाद में हो, किसी भी आगे की कार्यवाही में कोई इंटरैस्ट नहीं मांगा जाएगा।
- 6.7. पक्षकारों को सुलह या मध्यस्थता कार्यवाही से संबंधित सभी मामलों को गोपनीय रखना होगा और मध्यस्थता/अदालती कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गोपनीयता निपटान समझौते तक भी विस्तारित है, सिवाय इसके कि जहां कार्यान्वयन और प्रवर्तन के उद्देश्य के लिए इसका खुलासा आवश्यक हो।
- 6.8. समिति के समक्ष सुलह या मध्यस्थता कार्यवाही पर होने वाली सभी लागत और व्यय जिसमें समिति के सदस्यों, तीसरे पक्ष/विशेषज्ञ एजेंसी का शुल्क शामिल है जिसे दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। हालांकि, वकील या सलाहकार की नियुक्ति के लिए अनुरोध करने वाले पक्ष को ऐसे वकील या सलाहकार द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का वहन करना होगा।
- 6.9. मध्यस्थता या न्यायिक कार्यवाही के लंबित रहने से समिति के समक्ष सुलह या मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने पर कोई रोक नहीं लगेगी, भले ही सुलह या मध्यस्थता कार्यवाही मध्यस्थता या न्यायिक कार्यवाही के समान विषय-वस्तु/मुद्दे पर हो।
- 6.10. पक्षकार किसी विवाद के संबंध में कोई मध्यस्थता या न्यायिक कार्यवाही शुरू नहीं करेंगे या शुरू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे, जो समिति के समक्ष लंबित मध्यस्थता कार्यवाही का विषय है।
- 6.11. समिति को सचिवीय सहायता हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा प्रदान की जाएगी।
7. इसमें शामिल कोई भी बात समिति के पुनर्गठन के बाद उसके समक्ष आयोजित किसी भी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगी। इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से, सभी लंबित कार्यवाहियाँ 'जहाँ है जैसी है' के आधार पर पुनर्गठित समिति को हस्तांतरित हो जाएँगी और पुनर्गठित समिति के पास समिति के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियों से निपटने/सुनवाई जारी रखने का अधिकार होगा और उनके शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक आगे के कदम उठाएँगी।

सचिन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th May, 2026

Reconstitution of Committee of External Eminent Persons/ Experts for Dispute Resolution

F. No. Expl. 15022(13)/6/2017-ONG-D-V (E-38889).— In partial modification of the **Gazette Notification No. 387 dated 16th December 2019, published on 17th December, 2019** and subsequent notifications in the matter, the Government of India hereby reconstitutes the Committee of External Eminent Persons/Experts for Dispute Resolution with the following members, namely:-

Sl. No	Name
01	Sh. Rajiv Bansal, IAS (Retd.), Former Secretary, Ministry of Civil Aviation, Government of India.
02	Smt. Barnali Barua Tokhi (Retd.), Former Managing Director, BPRL
03	Sh. Deepak Mishra, Former Director and Chief Executive, ICRIER

2. Tenure of Members

2.1 The Tenure of the members of the Committee shall be three years from the date of this Notification. However, the Government reserves the right to dissociate any member from the Committee at any time without assigning any reason.

2.2 The members shall also be eligible for extension of tenure.

3. Impartiality of Members

The members of the Committee shall at all times remain impartial to the parties during the course of the conciliation or mediation proceedings.

4. Powers and Functions of Members

The Committee shall exercise all powers and discharge all functions necessary for carrying out conciliation and mediation proceedings for resolution of the dispute between the parties as per the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and endeavour that the parties arrive at the settlement agreement within three months from the date of the first meeting of the Committee. The members and the parties may for reasons to be recorded in writing extend the time for arriving at such settlement agreement by mutual agreement.

5. Terms and Conditions of the Committee

5.1 The members of the Committee acting as conciliator or mediator will be reimbursed expenses incurred on airfare and local commutation from their place of work to the place of meeting, as per entitlement, unless transport and commutation facility is provided to them for attending the Committee meetings. Each member will also be paid an honorarium of Rs. 20,000/- (Rupees Twenty Thousand only) per hearing of the conciliation or mediation proceedings.

5.2 The Committee acting as conciliator or mediator may take service of third party / expert agency to aid and assist it in discharge of its functions as and when required.

5.3 Government reserves the right to change the terms and conditions as and when required without assigning any reasons thereof.

6. Terms and Conditions of Conciliation or Mediation Proceedings

6.1 Any dispute or difference arising out of a contract relating to exploration blocks / fields of India can be referred to the Committee, if both parties to the contract agree in writing for conciliation or mediation and further agree to not invoke arbitration proceedings thereafter.

6.2 Upon receipt of a request referring dispute for resolution, the Committee shall conduct the conciliation / mediation proceedings. The proceedings shall be based on the principles of fairness, justice and good conscience. For procedural aspect, the Committee may take assistance of the principles and regulations as mentioned in Para 3 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

6.3 Unless the parties agree otherwise, the venue of the conciliation or mediation proceedings shall be New Delhi, India.

6.4 The parties will represent their case before the Committee acting as the Conciliator or Mediator only through their employees or executives. Advocates or consultants shall not participate in the conciliation proceedings, unless the Committee on application filed by a party to the proceedings find that some issue of legal nature or an issue requiring highly specialised knowledge is in dispute requiring clarification / interpretation by an Advocate or Consultant and takes a view that in absence of such assistance or participation, the party's interest shall not be adequately represented in the conciliation or mediation proceedings.

6.5 It shall be open to the parties to make any suggestions, proposal or alternative proposals for amicable settlement of dispute.

6.6 Parties shall not claim any interest on claims or counter-claims from the date of notice for conciliation or mediation till adjudication of the Settlement Agreement, if so arrived at. In case, parties are unable to arrive at a settlement, no interest shall be claimed in any further proceedings for the period from the date of notice till date of completion of the proceedings pending before the Committee or date of receipt of the final recommendations from the Committee or date of execution of the Settlement Agreement, whichever is later.

6.7 The parties are to keep all matters relating to the conciliation or mediation proceedings confidential and cannot rely upon them as an evidence in arbitration / court proceeding. Confidentiality extends also to the Settlement Agreement, except where its disclosure is necessary for purpose of implementation and enforcement.

6.8 All cost and expense incurred on the conciliation or mediation proceedings before the Committee including fees of the members of the Committee, third party / expert agency shall be borne equally by the parties. However, the party requesting for engagement of an advocate or consultant shall bear the fees charged by such advocate or consultant.

6.9 Pendency of arbitral or judicial proceedings shall not constitute any bar on commencement of conciliation or mediation proceedings before the Committee, even if the conciliation or mediation proceedings are on the same subject matter / issue as the arbitral or judicial proceedings.

6.10 The parties shall not initiate or take any step to initiate any arbitral or judicial proceedings in respect of a dispute, which is a subject matter of the conciliation or mediation proceedings pending before the Committee.

6.11 The secretarial assistance to the Committee shall be provided by the Directorate General of Hydrocarbons (DGH).

7. Nothing comprised herein shall vitiate any proceedings held before the Committee upon its reconstitution. With effect from the date of publication of this Notification, all pending proceedings shall stand transferred to the reconstituted Committee on 'as is where is basis' and the reconstituted Committee shall have jurisdiction to continue dealing with/hearing all proceedings that were pending before the Committee and shall take further steps necessary for their expeditious settlement.

SACHIN KUMAR, Under Secy.